

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा
नस्ती कं. 133/एल. ए./2017 11797
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-06/अ-82/2017-18 खण्डवा, दिनांक 24/07/2018

// धारा 11-प्रारंभिक अधिसूचना - शुद्धि पत्र //

.....0000.....

भाम मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु ग्राम सेमल्या तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 06/अ-82/2017-18 में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन मे उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" (क. 30 सन 2013) की धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 05.01.2018 को, समाचार पत्र स्वदेश में दिनांक 30.12.2017 को, नईदुनिया में दिनांक 30.12.2017 को, आम इशतहार दिनांक 29.12.2017 को हुआ है। डी.एम की वेबसाईट पर अपलोडिंग दिनांक 23.12.2017 को किया गया। उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढा जावे। जी नं 21392/17

पूर्व प्रकाशन प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
173.68 हे०	175.22 हे०

उक्त प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन में कुल अर्जनीय रकबा 173.68 हे० के स्थान पर 175.22 हे० पढा जावे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विशेष गढ़पाले)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
जिला- खण्डवा